

प्रपत्र-3

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत राशनकार्ड से सदस्य अंतरित करने हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ सचिव, पंचायत

जिला

विकासखण्ड/नगरीय निकाय

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम

ग्राम/वार्ड का नाम

उचित मूल्य दुकान का नाम

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

राशनकार्ड के मुखिया का नाम जहाँ

सदस्य अंतरित करना है

राशनकार्ड का प्रकार

राशनकार्ड क्रमांक

राशनकार्ड अंतरित करने के संबंध में

पुराने राशनकार्ड मुखिया का नाम जिसमें

सदस्य का नाम दर्ज है

राशनकार्ड का प्रकार

राशनकार्ड क्रमांक

राशनकार्ड में सदस्य अंतरित करने का विवरण

क्र.	सदस्य का नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	आयु	नवीनतम पासपोर्ट फोटो

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य राशनकार्ड में दर्ज है। आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती/करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं तथा यह इकरार करती/करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दण्ड का भागी रहूँगी/रहूंगा।

स्थल

हस्ताक्षर (मुखिया)

नाम

दिनांक

(आवेदक निरक्षर होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के समक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित दर्ज कराया जाए)